[2019] 17 एस. सी. आर 1155

एन. सी. टी. दिल्ली राज्य

वी.

शिव चरण बंसल और ओआरएस।

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 2248)

5 दिसंबर, 2019

[इंदु मल्होत्रा और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.227-राज्य द्वारा अपील

और अभियुक्त व्यक्तियों के आरोपमुक्त किए जाने के विरुद्ध शिकायतकर्ता

-

अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित-मृतक की हत्या कर दी गई थी

घर-कथित अनुबंध हत्यारा काली टोपी और चश्मे पहने एक कूरियर लड़के के रूप में आया शिकायतकर्ता की पत्नी ने पहचान की

उसे जाँच में-बेटे/भतीजे के संस्करण के अनुसार और

मृतक के भाइयों, मृतक ने आरोपी-एस. सी. बी. और उसके बेटे द्वारा संचालित समितियों में पर्याप्त राशि का निवेश किया था।

अभियुक्त-एस. बी. जिसे वे वापस करने के लिए अनिच्छुक थे और भी थे

एक कारखाने में मृतक के हिस्से को हड़पने की कोशिश-का बयान

मृतक का एक और भाई था कि वह और उसका बेटा थे

अभियुक्त-एनएम, अभियुक्त-एलएम से धमकी भरे कॉल प्राप्त करना और उनके सहयोगी और ये आरोपी हत्या के लिए जिम्मेदार थे

मृतक-एनएम, एलएम और आरोपी-अधिवक्ता-आरएस को गिरफ्तार कर लिया गया।

जब वे एक कार और काले फोटो फ्रेम में यात्रा कर रहे थे, टोपी, काले चश्मे और मृतक की तस्वीर बरामद की गई।

कार से-एनएम ने अपने गाँव के घर से गेट्ज़ कार बरामद कराई, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर-जेएसएस ने कथित तौर पर यात्रा की थी

मृतक की हत्या करने के लिए घटना स्थल पर-बिना लाइसेंस के

आरोपी के कार्यालय से पिस्तौल के साथ दो जिंदा कारतुस बरामद किए गए-एस. एस.-जांच के दौरान, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स

अभियुक्तों को जाँच अधिकारी द्वारा एकत्र किया गया था-के अनुसार अभियोजन पक्ष का संस्करण, एनएम ने अपने चचेरे भाई से पूछा था

बाद में पीछे हट गए-इसके बाद, जे. एस. एस. को हत्या को अंजाम देने के लिए कहा गया-एफ. एस. एल. रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि मृतक के शरीर से बरामद सीसा पिस्तौल से दागा गया था। एस. एस. का कार्यालय-हस्तलेखन विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार, जे. एस. एस. की नमूना हस्तलेखन लिफाफे पर उस लेखन से मेल खाती है जिसे कथित तौर पर जे. एस. एस. द्वारा मृतक के घर ले जाया गया था।

एनएम ने एक कार उधार ली, बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल के साथ पांच कारतुस और

जे. एस. एस. घटना स्थल पर ले गया और जे. एस. एस. के लिए कार में इंतजार किया, जबकि वह मृतक की हत्या करने गया और फिर जे. एस. एस. को भागने में मदद की, एन. एम. घटना से पहले और बाद में आरोपी के साथ लगातार संपर्क में था-एस. बी. एस. बी. द्वारा संचालित समितियों के रिकॉर्ड कथित रूप से उसके द्वारा नष्ट कर दिए गए थे-यह एस. सी. बी. के आचरण के बारे में एक मजबूत संदेह होगा-समितियों के रिकॉर्ड को नष्ट करना, जिससे पता चलता कि मृतक द्वारा किए गए पर्याप्त निवेश एक दोषपूर्ण कारक था।

द.

हत्या के तुरंत बाद आरोपी के फरार होने की परिस्थिति भी धाराओं के तहत प्रासंगिक 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगी। 8 साक्ष्य अधिनियम-जे. एस. एस. के साथ आए एस. बी. और एन. एम. के बीच समकालीन कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सी. डी. आर.) भी सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए मजबूत सामग्री का गठन करेंगे-सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था-सत्र न्यायालय ने माना कि मृतक की हत्या के कार्य में एन. एम. और जे. एस. एस. के बीच समान इरादा था। आरोपमुक्त कर दिया गया क्योंकि उसे अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे-राज्यसभा के संबंध में, यह माना गया कि सबूत उसके खिलाफ आरोप बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे क्योंकि उसने केवल निविदा दी थी

एनएम को इस आशय की सलाह कि उसे हत्या को अंजाम देने के लिए अपनी लाइसेंस प्राप्त पिस्तौल का उपयोग नहीं करना चाहिए-एसएस के संबंध में, सत्र अदालत ने माना कि दो जीवित गोलियों के साथ बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल का उपयोग किया गया था।

उसके कार्यालय से बरामद किया गया और उस पर केवल शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत उसके कब्जे में एक बिना लाइसेंस वाली आग्नेयास्त्र रखने के अपराध के लिए आरोप लगाया गया-सत्र अदालत ने अभियोजन पक्ष के बाद से एस. सी. बी. को आरोपमुक्त कर दिया

गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त व्यक्तियों से केवल प्रकटीकरण बयानों के रूप में उसके खिलाफ सबूत एकत्र किए थे-सत्र न्यायालय ने एस. बी. पर यू/एस. अपराध के लिए आरोप लगाया। 25 शस्त्र अधिनियम के तहत, क्योंकि उसने अपने कारखाने से बरामद एनएम से संबंधित लाइसेंस प्राप्त पिस्तौल प्राप्त की थी

परिसर सत्र न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष आर. एस., एल. एम., एस. सी. बी. के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा, जिन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था-राज्य और शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर करते हुए अभिनिर्धारित किया कि एन. एम., एस. बी., जे. एस. एस. पर यू. /

एस. 302 एस के साथ पढ़ें। 34 आई. पी. सी. को आई. पी. सी. 120 बी के साथ पढ़ा जाता है-एस. सी. बी., एस. एस., एल. एम., आर. एस. के निर्वहन का आदेश देने वाले सत्र न्यायालय के निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी-इसलिए राज्य और शिकायतकर्ता द्वारा तत्काल अपील-आयोजित की गईः वर्तमान मामला वह है जिसमें अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि सभी अभियुक्तों द्वारा मृतक की हत्या की आपराधिक साजिश रची गई थी।

शिव चरण बंसल और ओआरएस।

इसे प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत और एकजुट प्रयास में उनका अलग हिस्सा सामान्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि उसका एक हिस्सा है

सामान्य षड्यंत्र में खेलना, सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए षड्यंत्र ज्यादातर परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा संकेत करने वाली परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए साबित होता है।

द्वारा एक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय अभियुक्त का अपराध प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को अलग करना-कार्य या

सह-षड्यंत्रकारियों के बयान शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं-रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री लाई गई थी जिससे गंभीर संदेह पैदा हुआ। मृतक की हत्या में एस. सी. बी., एल. एम., एस. एस. की संलिप्तता के बारे में तदनुसार, सत्र न्यायालय को एस. सी. बी. के खिलाफ एस. के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया जाता है। 302 आर/डब्ल्यू एस। 34 आई. पी. सी. और एस. 120 बी और एस। 201 ; एस के तहत एल. एम. 302 आर/डब्ल्यू एस। 34 और एस। 120 बी; और एस के तहत एसएस के खिलाफ। 302 आर/डब्ल्यू एस। 34 और एस। 120 बी और एसएस। 25 , 27 , 54 और शस्त्र अधिनियम-दंड संहिता की धारा 59,

1860 एस. 302 आर/डब्ल्यू एस। 34 .

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 227 , 228 - का दायरा

आयोजित किया गयाः न्यायालय ने फ्रेमिंग के प्रश्न पर विचार करते हुए

एस के तहत आरोप। 227 अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं, यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य की छान-बीन और तौल करने की शक्ति है-यदि सामग्री

अदालत के समक्ष रखे जाने पर आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा होता है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, अदालत आरोप तय करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगी-इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष में एक घुमावदार जांच नहीं हो सकती है, सबूत को इस तरह से नहीं तौला जाना चाहिए जैसे कि एक मुकदमा चलाया जा रहा है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 223 , 386 , 391 – आयोजित किया गयाः s.223 में प्रावधान है कि एक ही अपराध के आरोपी व्यक्तियों ने अपराध किया है।

उसी लेन-देन के दौरान, संयुक्त रूप से शुल्क लिया जाना चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए-तत्काल मामले में, [2019] 17 एस. सी. आर. में विसंगति के कारण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सत्र न्यायालय द्वारा छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करते हुए, मुकदमे को छोटा कर दिया गया-तीन अभियुक्तों यानी एस. बी., एन. एम. और जे. एस. एस. के संबंध में मुकदमा अन्य तीन अभियुक्तों की अनुपस्थिति में आगे बढ़ा। एस. सी. बी., एल. एम. और एस. एस.-यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक साजिश का मामला था-चूंकि तत्काल मामले में मुकदमा काट दिया गया था, इसलिए यह आवश्यक है कि शेष तीन अभियुक्तों का मुकदमा कानून के अनुसार तुरंत आगे बढ़े-अन्य तीन अभियुक्तों यानी एस. बी., एन. एम. और जे. एस. एस. के संबंध में मुकदमा अन्य तीन कथित सह साजिशकर्ताओं की अनुपस्थिति में आयोजित किया गया था-एस. बी. और एन. एम. के संबंध में बरी करने का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है - s.386 अपीलों से निपटने में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित करता है-धाराओं के खंड (ए) के तहत। 386 , उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि आगे की जांच की जाए, या अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है, या उसे दोषी पाया जा सकता है और उस पर सजा सुनाई जा सकती है-एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय एस के तहत अपीलों पर विचार करते समय आगे का साक्ष्य ले सकता है। 391 , यदि यह आवश्यक माना जाता है, और अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य लें। उच्च न्यायालय भी अनुमति दे सकता है

एस के तहत बयानों की रिकॉर्डिंग। 313 यदि आवश्यक समझा जाए-उच्च न्यायालय एस. बी., एन. एम. और जे. एस. एस. के मामले में लंबित अपीलों को एस. सी. बी., एल. एम. और एस. एस. के मुकदमे के समापन के बाद ले सकता है, इस मामले में शेष अभियुक्त सत्र न्यायालय द्वारा।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 Cr.P.C की धारा 227 और 228 का दायरा। S.227 और S.228 Cr.P.C के तहत आरोप तय करने के चरण में, अदालत को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आरोपी-एस. सी. बी., आरोपी-एस. एस., आरोपी-एल. एम. और आरोपी-आर. एस. के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी। अभियोजन पक्ष

आरोप लगाया कि अपराध यू/एस। 120 बी, S.302 आर. डब्ल्यू. S.120B/34, S.201 आई. पी. सी. और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 तैयार की जानी चाहिए थी। द.

न्यायालय के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं, धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते हुए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की शक्ति है। प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यदि अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, तो अदालत आरोप तय करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगी। अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के संभावित मूल्य को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम के राज्य को तैयार करने के चरण में नहीं लिया जा सकता है।

शिव चरण बंसल और ओआरएस।

शुल्क लेते हैं। न्यायालय को यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उनसे सामने आने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर सामग्री का खुलासा करते हैं। कथित अपराध का गठन करना। इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष में एक घूमती हुई जांच नहीं हो सकती है, साक्ष्य को इस तरह नहीं तौला जाना चाहिए जैसे कि एक मुकदमा चलाया जा रहा हो। [पैरा 32] [1175-बी-एफ]

जिसका अपराध किया गया है, और जिसका स्तर अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता प्रासंगिक कारक हैं। प्रत्येक षड्यंत्रकारी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत और एकजुट प्रयास में अपनी अलग भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से अवगत है कि सामान्य षड्यंत्र में, सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में उसकी भूमिका है। तत्काल मामले के तथ्यों में, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री लाई गई थी जिससे एक कब्र बन गई थी

मृतक की हत्या में एस. सी. बी., एल. एम., एस. एस. के शामिल होने का संदेह। [पैरा 32] [1176-डी-जी; 1177-ए-एफ]

अभियुक्त-एस. सी. बी. सत्र अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने नोट किया है कि सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से हत्या के लिए एस. सी. बी. और उनके बेटे एस. बी. को जिम्मेदार ठहराया है। अपराध का उद्देश्य एस. सी. बी. की समितियों में मृतक द्वारा किए गए निवेश का दुरुपयोग करना था। मृतक के बेटे ने आगे बयान दिया है कि आगे की परिस्थिति मृतक के परिवारों और एस. सी. बी. के बीच व्यापारिक लेन-देन के कारण थी। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, हत्या की साजिश एस. सी. बी. और उसके बेटे एस. बी. ने एन. एम. के साथ रची थी और अन्य सह-साजिशकर्ता एल. एम. थे जिन्होंने अनुबंध हत्यारे-जे. एस. एस., एस. एस. की व्यवस्था की थी, जिन्होंने अपराध का हथियार प्रदान किया था जो उनके कार्यालय से बरामद किया गया था। एस. बी. और एन. एम. के बीच समकालीन कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (सी. डी. आर.), जो जे. एस. एस.-अनुबंध हत्यारे के साथ थे, आरोप [2019] 17 एस. सी. आर. तैयार करने के लिए मजबूत सामग्री का गठन करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी अभियुक्तों के खिलाफ। हत्या लगभग 4 बजे हुईः 30 अपराह्न एन. एम. ने अपने सेल फोन से 3 बजे कॉल कियाः 51 अपराध के निष्पादन से पहले अपने सेल फोन पर एस. बी. को पी. एम. हत्या के बाद, एन. एम. ने 4 बजे अपने सेल फोन पर एस. बी. को फोन कियाः 48 अपराह्न। हत्या के तुरंत पहले और बाद में ये कॉल रिकॉर्ड एक गंभीर संदेह की ओर ले जाते हैं

इन अभियुक्तों की मिलीभगत के बारे में। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि आरोपी घटना से पहले और बाद में एक-दूसरे के निकट संपर्क और संपर्क में थे। सत्र न्यायालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि एस. सी. बी. के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जो सबूत का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा था, आई. ओ. द्वारा जानबूझकर आरोप पत्र के साथ नहीं रखा गया था। केवल एस. सी. बी. का लापता कॉल विवरण रिकॉर्ड उसके खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करता है। एस. सी. बी. द्वारा संचालित समितियों के रिकॉर्ड कथित रूप से नष्ट कर दिए गए थे। इससे एस. सी. बी. के आचरण के बारे में एक मजबूत संदेह पैदा होगा। एस. सी. बी. ने अपने प्रकटीकरण बयान में कहा कि उनके पास समितियों के सभी रिकॉर्ड हैं। हालांकि, दो दिन बाद, उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि समिति के रिकॉर्ड में कहा गया है कि

उनके बेटे एस. बी. द्वारा नष्ट कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि पिता-पुत्र की जोड़ी ने समितियों के रिकॉर्ड को जला दिया/नष्ट कर दिया। समितियों के अभिलेखों को नष्ट करना, जिससे मृतक द्वारा किए गए पर्याप्त निवेश का पता चलता, एक दोषपूर्ण कारक है। हत्या के बाद एस. सी. बी. का आचरण भी प्रासंगिक है। पुलिस ने एस. बी. को उसके कारखाने से 29.03.2006 पर गिरफ्तार किया। एस. सी. बी. 21.03.2006 पर हत्या किए जाने के बाद से फरार रहा और पुलिस के प्रयासों के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ। उसे एक महीने से अधिक समय के बाद गिरफ्तार किया गया था। ने कहा कि हत्या के तुरंत बाद फरार होने की परिस्थिति, साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगी। अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री एस. सी. बी. और उनके बेटे एस. बी. दोनों के खिलाफ मृतक की हत्या की साजिश रचने में एक मजबूत संदेह पैदा करती है। [पैरा 32] [1179-ए-एच; 1180-ए-एच; 1181-ए]

अभियुक्त-एल. एम.-अभियोजन पक्ष ने मृतक के भतीजे के बयान पर भरोसा किया। उक्त गवाह ने अपने बयान में कहा

यू/एस। 161 Cr.P.C, जो हत्या के तुरंत बाद दर्ज किया गया था, ने कहा कि NM, LM, SB और उसके दोस्त उसे फोन पर धमकी देते थे। एनएम द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान से पता चलता है कि शुरू में उसने एलएम को हत्या करने के लिए कहा था।

एल. एम. का स्टेट ऑफ एन. सी. टी. दिल्ली बनाम था। शिव चरण बंसल और ओआरएस।

मृतक की हत्या की आपराधिक साजिश की पूरी जानकारी। हत्या के तुरंत बाद एनएम और एलएम फरार हो गए। चूँकि एल. एम. अपराध के बाद जांच में शामिल नहीं हुआ, इसलिए आरोपी का आचरण

फरार होना यू/एस के तहत प्रासंगिक 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगा। 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 29.03.2006 यानी हत्या होने के आठ दिन बाद, तीन आरोपी अर्थात्। एनएम, एलएम और आरएस को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वे एक एस्टीम कार में यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने कार से आपत्तिजनक वस्तुएं यानी मृतक की तस्वीर बरामद की जो कॉन्ट्रैक्ट किलर को पहचान के लिए दी गई थी, चश्मे और काली टोपी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर जेएसएस द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिए पहनी गई थी। एल. एम. के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि अपने सेल फोन से, वह अपराध करने से पहले और उसके बाद अपनी सेल में जे. एस. एस. के साथ संपर्क में था। नीचे दिए गए न्यायालय यू/एस के तहत आरोप तय नहीं करने में अन्यायपूर्ण थे। , 302 आर. डब्ल्यू अभियुक्त एल. एम. के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 34, धारा 120 बी। [पैरा 32] [1181-एफ-जी; 1182-ए-एफ]

अभियुक्त-एसएस-अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अभियुक्त एसएस ने अपराध का हथियार प्रदान किया। इसके अलावा अपराध के बाद

एस. एस. 75 दिनों तक फरार रहा। अपराध के हथियार की बरामदगी यानी बिना लाइसेंस के

इस आरोपी के कार्यालय से दो जीवित कारतुसों के साथ एमएम बोर पिस्तौल साजिश में उसकी संलिप्तता का एक मजबूत संदेह पैदा करती है। बैलिस्टिक रिपोर्ट ने प्रमाणित किया है कि घटना स्थल से बरामद किए गए तीन इस्तेमाल किए गए कारतुस और मृतक के शरीर से बरामद सीसा, आरोपी के घर से बरामद जीवित कारतुस-एसएस से मेल खाते हैं और बिना लाइसेंस के पिस्तौल से दागे गए थे। अभियुक्त-एस. एस. सह अभियुक्त द्वारा दिए गए बयानों की परवाह किए बिना, एसएस की हिरासत और कब्जे में पाए जाने वाले अपराध के हथियार की परिस्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत "आचरण" के रूप में स्वीकार्य होगी। एस. एस. के घर से अपराध के हथियार की महत्वपूर्ण बरामदगी घटनाओं की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति थी, जो यू/एस मुकदमे में उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। 302 आर. डब्ल्यू धारा 34 और 120 बी आई. पी. सी. इससे पहले प्रस्तुत कॉल विवरण रिकॉर्ड

सत्र न्यायालय, हत्या की तारीख को एनएम और एसएस के बीच संचार का खुलासा करता है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार प्रासंगिक सामग्री है। यह आश्चर्य की बात है कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने [2019] 17 एस. सी. आर. की वसूली को स्वीकार कर लिया है।

एसएस के कार्यालय से बिना लाइसेंस के हथियार ने उस पर केवल यू/एस अपराध का आरोप लगाया। 25 शस्त्र अधिनियम। [पैरा 32] [1182-जी-एच; 1183 ए-एच] अभियुक्त-आर. एस. राज्यसभा के निर्वहन के संबंध में, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश को बाधित नहीं किया जाता है।

क्योंकि उस पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। [पैरा 32] [1184-ए] अभियुक्त-एनएम-उस पर यू/एस आरोप लगाया गया था। 302 आर. डब्ल्यू. सत्र न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 34, धारा 201 और धारा 25 और 29 (ख)।

सत्र अदालत ने उसे बरी कर दिया। उसके बरी होने के खिलाफ चुनौती निर्णय के लिए लंबित है। [पैरा 32] [1184-बी-सी]

Cr.P.C की धारा 223 में प्रावधान है कि एक ही अपराध के आरोपी व्यक्ति, उसी अपराध के दौरान किए गए। लेन-देन, संयुक्त रूप से प्रभारित और परीक्षण किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, सत्र न्यायालय द्वारा छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने में विसंगति के कारण, मुकदमा चला है

कटा हुआ। तीन अभियुक्तों अर्थात एस. बी., एन. एम. और जे. एस. एस. के संबंध में मुकदमा अन्य तीन अभियुक्तों की अनुपस्थिति में आगे बढ़ा है। एससीबी, एलएम और एसएस। वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित आपराधिक साजिश का है। एक मामले के लिए

आपराधिक साजिश स्थापित की जानी चाहिए, परिस्थितियों की श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी पूरी हो जाएगी, केवल तभी जब सबूत

अभियोजन पक्ष द्वारा सभी अभियुक्तों के खिलाफ एकत्र किए गए धन को समग्र रूप से ध्यान में रखा गया था। चूंकि वर्तमान मामले में मुकदमा काट दिया गया है, इसलिए यह आवश्यक है कि शेष तीन अभियुक्तों का मुकदमा कानून के अनुसार तुरंत आगे बढ़े। अन्य तीन अभियुक्तों अर्थात एस. बी., एन. एम. और जे. एस. एस. के संबंध में मुकदमा अन्य तीन कथित सह-साजिशकर्ताओं की अनुपस्थिति में चलाया गया था। एस. बी. और एन. एम. के संबंध में बरी करने का आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। S.386 Cr.P.C. को परिभाषित करता है

अदालत। अपीलीय अदालत अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाने का निर्देश दे सकती है, न केवल जब वह बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर विचार करती है, बल्कि तब भी जब वह दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर विचार करती है। खंड के तहत (क) उच्च न्यायालय बरी किए जाने के आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि आगे की जांच की जाए, या अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है, या उसे दोषी पाया जा सकता है और उस पर सजा सुनाई जा सकती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक राज्य के रूप में v. शिव चरण बंसल और ओआरएस।

अपीलीय न्यायालय, उच्च न्यायालय यू/S.391 Cr.P.C के अधीन अपीलों पर विचार करते समय, यदि इसे आवश्यक माना जाता है, और अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। यदि आवश्यक समझा जाए तो उच्च न्यायालय यू/S.313 Cr.P.C के तहत बयान दर्ज करने की भी अनुमति दे सकता है। उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय द्वारा शेष अभियुक्त एस. सी. बी., एल. एम. और एस. एस. के मुकदमे के समापन के बाद एस. बी., एन. एम. और जे. एस. एस. के मामले में लंबित अपीलों पर विचार कर सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहिणी अदालत, दिल्ली को एस. सी. बी. यू/एस. के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया जाता है। 302 आर. डब्ल्यू. धारा 34 आई. पी. सी. और धारा 120 बी, और आई. पी. सी. और एल. एम. यू/एस. के खिलाफ कानून के अनुसार मुकदमे के साथ आगे बढ़ें। 302 आर. डब्ल्यू. धारा 34 आई. पी. सी. और S.120B आई. पी. सी. और कानून के अनुसार मुकदमे के साथ आगे बढ़ें।

और एसएस यू/S.302 आर. डब्ल्यू. 34 आई. पी. सी. और धारा 120 बी आई. पी. सी. और धारा 25,27,54

और शस्त्र अधिनियम की धारा 59। [पैरा 32] [1184-डी-एच; 1185-ए-ई-जी; 1186 ए-बी]

बिहार राज्य बनाम। रमेश सिंह (1977) 4 एससीसी 39:

[1978] 1 एस. सी. आर. 257; दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल

वी. गुजरात राज्य और दूसरा (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन

एससी 588; इसाक उर्फ किशोर बनाम। रोनाल्ड चेरियन और ओआरएस

(2018) 2 एससीसी 278: [2018] 1 एससीआर 217; एलिस्टर

एंथनी परेरा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 2 एससीसी

(2005) 11 एससीसी 600: [2005] 2 पूरक। एस. सी. आर. 79; केहर सिंह और ओआरएस। वी. राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1988) 3

एस. सी. सी. 609 [1988] 2 पूरक। एस. सी. आर. 24-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 1 एससीआर 257

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[2005] 2 पूरक। एससीआर 79

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1988] 2 पूरक। एससीआर 24

पै

रा 32

संदर्भित किया गया है

[2018] 1 एससीआर 217

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[2012] 1 एससीआर 145

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

[2008] 10 एससीआर 1115

उस पर भरोसा करें

पै

रा 32

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2010 का सं. 2248।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2008 के आपराधिक संशोधन संख्या 335 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 29.05.2009 के निर्णय और आदेश से

के साथ

2010 की आपराधिक अपील संख्या 2247।

श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, आर. बसंत, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ब्रज किशोर मिश्रा, संजीव झा, सुश्री अपर्णा झा, सुश्री कृति सोंधी, अभिषेक यादव, सुश्री सुहासिनी सेन, सचिन शर्मा, बी. वी. बलराम दास, हिमांशु नेलवाल, विष्णु पजांगनत, अंकुर गर्ग (सुश्री पल्लवी प्रताप के लिए), सुमीर सोधी, अमिताभ सिन्हा, दानिश आफताब चौधरी, अनिल, इमराज रौतेला, अंकित धवन, अरुण मेनन (यश पाल ढींगरा के लिए), वी. के. सिद्धार्थन, विनीत भगत, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदू मल्होत्रा, जे.

1. वर्तमान आपराधिक अपील राज्य द्वारा दायर की गई हैं।

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 2248) और शिकायतकर्ता-कांता देवी (2010 की आपराधिक अपील संख्या 2247) के आदेश को चुनौती देने के लिए

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिव चरण बंसल, ललित मान उर्फ नन्हे, शैलेंद्र सिंह और राजबीर सिंह को आरोपमुक्त कर दिया।

2. जिस तथ्यात्मक मैट्रिक्स से वर्तमान अपीलें उत्पन्न होती हैं, वह शिकायतकर्ता कांता देवी द्वारा एफ. आई. आर. सं. 200/2006 दाखिल करना है -

स्वर्गीय एस. एन. गुप्ता की विधवा <आई. डी. 1 पर पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी, दिल्ली के साथ धारा 120 बी, 302,201 आर. डब्ल्यू. के तहत। धारा 34 आई. पी. सी. और शस्त्र अधिनियम की धारा 25,27,54,59। शिकायतकर्ता ने कहा कि 21.03.2006 पर, वह अपने पति-एस. एन. गुप्ता के साथ घर में थी। लगभग 4 बजेः 30 दोपहर में, दरवाजे की घंटी बजी, जब 25 से 30 वर्ष की आयु का एक आदमी दाढ़ी के साथ गेट पर खड़ा था, चश्मा और सिर पर एक काली टोपी पहने हुए, अपने कंधे पर एक थैला लिए हुए। उन्होंने कहा कि वह एस. एन. गुप्ता को संबोधित एक बैंक से एक कूरियर लाए थे और उसे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सौंप देंगे। उसने अपने पति को कूरियर के बारे में बताया। एस. एन. गुप्ता मुख्य द्वार पर गए, जबकि मुखबिर रसोईघर लौट आया। फिर उसने गेट से 2 या 3 गोलियों की आवाज सुनी। वह गेट की ओर दौड़ी और पाया कि उसका पति फर्श पर गिर गया था, और गोली की चोटों के कारण खून बह रहा था।

वह मदद के लिए चिल्लाई, जब पड़ोसी आए और उसे दौड़ाया

पति को जयपुर गोल्डन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उसने कहा कि वह उस आदमी को पहचान पाएगी जिसने उसके पति को गोली मार दी थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य बनाम शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

3. सब-इंस्पेक्टर धरमबीर सिंह, सिपाही विजय कुमार और सिपाही प्रसान सिंह के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से 3 इस्तेमाल किए गए कारतुस और खून से सना हुआ चप्पल बरामद किया।

घटना। 4. घटना की तारीख को, आई. ओ. ने मृतक यू/एस के पुत्र राजेश गुप्ता का बयान दर्ज किया। 161 Cr.P.C. राजेश गुप्ता

लिफाफा पुलिस को सौंप दिया जिसे हमलावर ने हत्या के समय अपने पिता एस. एन. गुप्ता को संबोधित किया था। राजेश गुप्ता ने स्पष्ट रूप से हत्या के लिए शिव चरण बंसल को जिम्मेदार ठहराया और उनके बेटे सचिन बंसल। उन्होंने कहा कि वह और उनके पिता एस. एन. गुप्ता शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल द्वारा संचालित कई चिट फंड समितियों के सदस्य थे। राजेश गुप्ता और उनके पिता एस. एन. गुप्ता ने उन समितियों में काफी पैसा लगाया था। उन्होंने आगे कहा कि वे समितियों में निवेश किए गए धन को मृतक को वापस करने के लिए अनिच्छुक थे।

राजेश गुप्ता ने आगे कहा कि उन्होंने एक में प्रवेश किया था

मेसर्स एक्सेंट शूज प्राइवेट में सचिन बंसल के साथ साझेदारी। लिमिटेड, जिसका कारखाना बहादुरगढ़ में था। राजेश गुप्ता ने कहा कि वह साझेदारी से अलग होना चाहते थे क्योंकि शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल ने उनके पिता एस. एन. गुप्ता के हिस्से को हड़प लिया था-जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और अब वे कारखाने को हड़पने की कोशिश कर रहे थे। बहादुरगढ़। इन्हीं कारणों से उन्होंने उसके पिता की हत्या कराई है।

5. उसी दिन मृतक के भाई सतीश गुप्ता का बयान यू/एस दर्ज किया गया था। 161 Cr.P.C. जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल द्वारा संचालित समितियों में निवेश किया था। उन्होंने आगे कहा कि उनके भाई स्वर्गीय एस. एन. गुप्ता ने इन समितियों में बड़ी राशि का निवेश किया था। शिव चरण बंसल और उनका बेटा दोनों को बकाया राशि वापस करने से इनकार कर रहे थे। वह और उसका भाई। मृतक ने अपने भाई को बताया था कि शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल कारखाने पर कब्जा करना चाहते थे।

बहादुरगढ़, और साझेदारी भंग होने के बाद डी-268, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने में अपने हिस्से की एक बड़ी राशि हड़प लेते हैं। उन्होंने अपने भाई एस. एन. गुप्ता की हत्या के लिए भी शिव चरण बंसल और उनके बेटे को जिम्मेदार ठहराया। 6. मृतक एस. एन. गुप्ता के दूसरे भाई सुरेश गुप्ता का बयान भी घटना की तारीख पर दर्ज किया गया था। 161 Cr.P.C. उन्होंने कहा कि वह अपना खुद का व्यवसाय चला रहे थे, और वह [2019] 17 एस. सी. आर.

मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में सहयोगी। उसने कहा कि उसके भाई की हत्या नरेंद्र मान, ललित मान और उसके दोस्तों ने की थी। 7. नवीन गुप्ता @चीनू पुत्र सुरेश गुप्ता, मृतक एस. एन. गुप्ता के भतीजे ने अपने बयान में यू/एस. 161 Cr.P.C ने कहा कि उन्हें नरेंद्र मान, ललित मान, सचिन बंसल और उनके दोस्तों से मृतक की हत्या का कारण होने की धमकी मिल रही थी।

8. 01.06.2006 पर, अजीत प्रसाद गुप्ता का बयान-तीसरा

मृतक के भाई को यू/S.164 <आई. डी. 2. में दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल द्वारा संचालित विभिन्न चिट फंड समितियों में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि उनके भाई स्वर्गीय एस. एन. गुप्ता ने शिव चरण बंसल और सचिन बंसल द्वारा संचालित अधिकांश समितियों में निवेश किया था, जो मृतक द्वारा निवेश किए गए धन को वापस करने से इनकार कर रहे थे।

9. 31.05.2006 पर, एक स्वतंत्र गवाह का बयान

अशोक कुमार अग्रवाल को यू/एस दर्ज किया गया था। 164 उक्त गवाह ने कहा कि उसने शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल द्वारा संचालित समितियों में पैसा लगाया था। उन्होंने आगे कहा कि मृतक एस. एन. गुप्ता ने भी आरोपी शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल द्वारा संचालित लगभग सभी समितियों में बड़ी राशि का निवेश किया था।

10. 22.03.2006 पर, मृतक का पोस्टमार्टम संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी में किया गया, जहाँ यह किया गया था।

ऑटोप्सी सर्जन को मृतक की छाती पर तीन प्रवेश घाव के बिंदु मिले। गोलियों का सीसा बरामद किया गया और उन्हें सौंप दिया गया पुलिस के पास। पोस्टमॉर्टम में दर्ज किया गया है कि मौत छाती पर निम्नलिखित आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण हुई थीः

(i) 1.5 से. मी. x 104 आकार की छाती पर मौजूद आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव, मध्य रेखा से 6.5 से. मी. और 6 से. मी. ऊपर और 1 से. मी. मध्य से लैफ्टिन निप्पल तक; दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राज्य v.

शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

((ii) लेफ्टिनेंट आर्कोला के बाहरी और ऊपरी किनारे पर 1 से. मी. x 0.5 से. मी. आकार का आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव, जिसके चारों ओर घर्षण फ्रैक्चर का कॉलर होता है।

(iii) एल. टी. के ऊपर मौजूद आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव। हाइपोकॉन्ड्रियम

आकार 1.6 से. मी. x 1.0 से. मी.।

यह दर्ज किया गया था कि मौत का कारण आग्नेयास्त्र के हमले और छाती के विसरा और महाधमनी में चोट के कारण सदमा था।

पुलिस ने घटनास्थल से इस्तेमाल किए गए तीन कारतुस बरामद किए हैं। मृतक के शरीर से निकाला गया सीसा-एस. एन.

गुप्ता को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।

11. जाँच के दौरान, सचिन बंसल को गिरफ्तार किया गया था

29.03.2006 . उनका खुलासा बयान दर्ज किया गया। नरेंद्र मान, उनके भाई ललित मान और वकील-राजबीर सिंह को उसी तारीख को गिरफ्तार किया गया था, जब वे नं. डीएल 3 सी एजी 6565। एक काला फोटो फ्रेम, एक काली टोपी, काले चश्मे,

और एस्टीम कार से मृतक की एक तस्वीर बरामद की गई।

12. नरेंद्र मान ने एक खुलासा किया और उस दुकान को दिखाया जहाँ से उन्होंने टोपियाँ और चश्मे खरीदे थे। उसने लेने की पेशकश की

शैलेंद्र सिंह ने यह कहते हुए गिरफ्तार किया कि यह शैलेंद्र सिंह था जिसने अपराध के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार यानी बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल दी थी।

हत्या। नरेंद्र मान ने अपने गाँव के घर से गेटज़ कार बरामद कराई, जिसमें अनुबंध हत्यारा-जोगिंदर सिंह सोढ़ी कथित तौर पर एस. एन. गुप्ता की हत्या करने के लिए घटना स्थल पर गया था।

गेट्ज़ कार से काली टोपी और चश्मे का दूसरा सेट बरामद किया गया। नरेंद्र मान ने भी जोगिंदर सिंह सोढ़ी को लेने की पेशकश की।

संपर्क हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया।

13. बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल के साथ दो जिंदा कारतुस आरोपी शैलेंद्र सिंह के कार्यालय से बरामद किए गए।

ए-11/35, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली।

14. खुलासा बयान ललित मान, राजबीर सिंह द्वारा दिए गए थे।

और सचिन बंसल 29.03.2006 पर।

15. 30.03.2006 पर, जोगिंदर सिंह सोढ़ी-अनुबंध हत्यारा था

गिरफ्तार कर लिया गया।

परीक्षण पहचान परेड ("टी. आई. पी".) का आयोजन किया गया था

10.04.2006 . जोगिंदर सिंह ने न्यायिक टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायतकर्ता-कांता देवी ने मामले की जांच के दौरान हमलावर के रूप में उसकी पहचान की।

16. 04.06.2006 पर शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। शैलेंद्र सिंह ने उस जगह की पहचान की जहां से बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल थी

ठीक हो गया।

17. जाँच के दौरान शिव चरण बंसल को जाँच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, शिव चरण बंसल बने रहे।

एक महीने से अधिक समय से फरार है। उसे 25.04.2006 पर गिरफ्तार किया गया था।

18. जाँच के दौरान, अभियुक्त के कॉल विवरण रिकॉर्ड

जाँच अधिकारी द्वारा 09.06.2006 पर एकत्र किए गए थे।

हमने सत्र न्यायालय के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और पाया है कि शिव चरण बंसल के कॉल विवरण रिकॉर्ड गायब हैं।

फ़ाइल. 19. निम्नलिखित 7 अभियुक्तों-नरेंद्र मान, ललित मान, राजबीर सिंह के खिलाफ 22.06.2006 पर आरोप पत्र दायर किया गया था।

अधिवक्ता, जोगिंदर सिंह सोढ़ी, सचिन बंसल, शिव चरण बंसल और शैलेंद्र सिंह को S.120B, 302 और 201 के तहत अपराधों के लिए

धारा 34 आई. पी. सी. और धारा 25 शस्त्र अधिनियम।

20. एफ. एस. एल. रिपोर्ट दर्ज करती है कि मृतक के शरीर से बरामद सीसा बरामद पिस्तौल से दागा गया था।

अभियुक्त का कार्यालय-शैलेंद्र सिंह।

21. कॉन्ट्रैक्ट किलर जोगिंदर सिंह सोढ़ी द्वारा मृतक एस. एन. गुप्ता को संबोधित लिफाफा राजेश गुप्ता पुत्र मृतक एस. एन. गुप्ता से बरामद किया गया था। लिखावट विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार, जोगिंदर सिंह सोढ़ी की नमूना लिखावट से मेल खाती है

लिफाफे पर लिखें।

22. 17.11.2006 पर रमेश का बयान यू/एस दर्ज किया गया था। 161 Cr.P.C पुलिस द्वारा। उन्होंने कहा कि वह रोहिणी, दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर हैं और उन्होंने शैलेंद्र सिंह के लिए फ्लैट की व्यवस्था की थी।

अपनी पत्नी पूजा सिंह के नाम पर पंजीकृत। शैलेंद्र सिंह ने उक्त फ्लैट का इस्तेमाल अपने वित्तपोषण व्यवसाय के लिए किया। शैलेंद्र सिंह के कार्यालय से बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल के साथ दो जिंदा कारतुस बरामद किए गए।

23. फोरेंसिक रिपोर्ट, हस्तलेखन विशेषज्ञ रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट को एक पूरक के साथ रिकॉर्ड में रखा गया था।

26.11.2006 पर चार्ज करें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य बनाम शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

24. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से एक बड़ी आपराधिक साजिश का पता चला जिसमें

सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने भाग लिया था। शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल समितियों के संचालन के व्यवसाय में थे जहाँ धन का निवेश किया जाता था। एस. एन. गुप्ता-मृतक और उनके बेटे राजेश गुप्ता ने इन समितियों में काफी पैसा लगाया था। राजेश गुप्ता ने शिव चरण बंसल के साथ एक फर्म मेसर्स आकाश इंटरनेशनल में साझेदारी की थी। विघटित। राजेश गुप्ता और सचिन बंसल भी एक अन्य फर्म यानी मेसर्स चला रहे थे। एक्सेंट शूज प्रा. लिमिटेड, जिसका कारखाना बहादुरगढ़ में स्थित था। राजेश गुप्ता और उनके पिता स्वर्गीय एस. एन. गुप्ता

इन व्यवसायों में काफी राशि का निवेश किया। एस. एन. गुप्ता और उनके बेटे द्वारा इस फर्म में निवेश किए गए धन को शिव चरण बंसल और सचिन बंसल ने वापस नहीं किया। आशंका व्यक्त की गई

मृतक एस. एन. गुप्ता ने अपने भाई सुरेश गुप्ता से कहा कि आरोपी शिव चरण बंसल और सचिन बंसल बहादुरगढ़ में कारखाने पर कब्जा कर सकते हैं। जब एस. एन. गुप्ता और राजेश गुप्ता बहादुरगढ़ के कारखाने में अपने निवेश की वापसी की मांग करेंगे, तो शिव चरण बंसल और सचिन बंसल एक या दूसरे बहाने से मना कर देंगे। अन्य।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नरेंद्र मान ने मृतक के भतीजे नवीन गुप्ता को सात लाख रुपये दिए थे। सचिन बंसल द्वारा की गई सिफारिश। ब्याज के साथ, नवीन गुप्ता द्वारा नरेंद्र मान को कथित रूप से देय राशि ने काम किया

लगभग पंद्रह लाख तक। नरेंद्र मान ने नवीन गुप्ता और उनके पिता से बकाया राशि की मांग की। उसे पैसे चुकाने के बजाय, उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। नरेंद्र

मान ने सचिन बंसल से बात की और उनसे नवीन गुप्ता के बकाया धन को वापस करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने केवल सचिन बंसल की सिफारिश पर पैसे उधार दिए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सचिन बंसल ने नरेंद्र मान को बताया कि

नवीन गुप्ता पर भी तीस लाख से अधिक का बकाया था।

सचिन बंसल और नरेंद्र मान ने एस. एन. गुप्ता को खत्म करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी, ताकि एस. एन. गुप्ता द्वारा उनके पिता शिव चरण बंसल और खुद द्वारा संचालित समितियों में निवेश किए गए धन को उनके पास रखा जा सके, और फिर वह नरेंद्र मान को नवीन गुप्ता द्वारा दिए गए धन का भुगतान करने में सक्षम हो सकें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चरण बंसल ने एस. एन. गुप्ता की हत्या में शामिल खर्चों का भुगतान करने की पेशकश की।

अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, नरेंद्र मान उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमत हो गए। उन्होंने सबसे पहले अपने चचेरे भाई आरोपी ललित मान को सिख के भेष में एस. एन. गुप्ता की हत्या करने के लिए कहा। शुरू में सहमत होने के बाद, ललित मान बाद में पीछे हट गए। इसके बाद, जोगिंदर सिंह सोढ़ी, जो ललित मान के घर के नीचे एक दुकान चला रहा था, को नरेंद्र मान ने एस. एन. गुप्ता की हत्या को अंजाम देने के लिए कहा, जिसे वह रुपये के भुगतान पर सहमत हो गया। 2 एक लाख। जोगिंदर सिंह सोढ़ी को एस. एन. गुप्ता की तस्वीर और उनके घर का सटीक स्थान दिखाया गया।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी राजबीर सिंह, जो एक वकील है, ने कथित तौर पर नरेंद्र मान को सलाह दी थी कि उसे हत्या करने के लिए अपने स्वयं के लाइसेंस प्राप्त हथियार का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके समान बिना लाइसेंस वाले हथियार का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पुलिस घटनास्थल से बरामद गोलियों को हथियार से जोड़ने की कोशिश करेगी।

उन्होंने नरेंद्र मान को एस. एन. गुप्ता का घर भी दिखाया और उन्हें एस. एन. गुप्ता की दिनचर्या के बारे में जानकारी दी और आगे उन्हें बताया कि उन्होंने शेयरों में अपने निवेश के संबंध में कूरियर, पैकेट/पत्र प्राप्त करता है।

अपराध की तारीख यानी 21.03.2006 पर, उपरोक्त के अनुसार

आपराधिक साजिश के तहत नरेंद्र मान ने अपने चचेरे भाई से गेटज कार और शैलेंद्र सिंह से पांच के साथ बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल उधार ली। कारतुस। इसके बाद वह जोगिंदर सिंह सोढ़ी को अपनी गेटज़ कार में चश्मे और टोपी पहनाकर घटना स्थल पर ले गया और एस. एन. गुप्ता को देने के लिए एक लिफाफा दिया। उसने गाड़ी पास में खड़ी कर दी।

अपार्टमेंट में, और कार के अंदर इंतजार कर रहा था, जबकि जोगिंदर सिंह मृतक-एस. एन. गुप्ता के घर गया। जोगिंदर सिंह ने एस. एन. गुप्ता को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नरेंद्र मान ने तब जोगिंदर सिंह को भागने में मदद की।

25. अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, घटना 21.03.2006 पर लगभग 4 बजे हुईः 30 घटना से ठीक पहले 3 बजेः 51 अपराह्न,

आरोपी-नरेंद्र मान ने अपने मोबाइल फोन नंबर 9818411470 से सचिन बंसल के मोबाइल फोन नंबर 9818119624 पर कॉल किया। हत्या किए जाने के बाद, एन. सी. टी. दिल्ली का अभियुक्त बनाम।

शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

मान ने आरोपी को फोन किया-4 बजे सचिन बंसलः 48 अपराह्न। द.

डी. एस. ने खुलासा किया कि आरोपी-नरेंद्र मान और सचिन

एक-दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में, पहले और बाद में

घटना का उल्लेख करें।

अभियोजन पक्ष ने आग्रह किया कि अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला

धारा 120 बी आई. पी. सी. को 302 आर. डब्ल्यू. के साथ पढ़ा गया। बंसल, शैलेंद्र सिंह, ललित मान और राजबीर मलिक के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120 बी/34, शस्त्र अधिनियम की धारा 201, धारा 25 बनाई गई थी।

सत्र न्यायालय ने दिनांक 17.03.2008 के आदेश के माध्यम से कहाः

(i) कि अभिलेख पर लाई गई सामग्री और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, सामान्य था

नरेंद्र मान और जोगिंदर सिंह के बीच इरादे

एस. एन. गुप्ता की हत्या के कृत्य में सोधी। सत्र अदालत ने निर्देश दिया कि जोगिंदर सिंह सोढ़ी पर यू /

धारा. आई. पी. सी. की धारा. 34 के साथ पठनीय धारा. नरेंद्र मान थे

अपराध के बाद हथियार का गायब होना कथित रूप से इसे कथित अनुबंध हत्यारे से लेते हुए -

जोगिंदर सिंह सोढ़ी। नरेंद्र मान आगे थे।

शुल्क यू/एस। 25 वह सह-अभियुक्त शैलेंद्र सिंह के कार्यालय से आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद बरामद कराने के लिए शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन करता है। प्रथम दृष्टया अभिलेख पर सामग्री

बंसल गोला-बारूद के साथ, जो सचिन बंसल के कारखाने से बरामद किया गया था। उन पर भी आरोप लगाया गया था यू/एस। 29 शस्त्र अधिनियम का बी।

((ii) सत्र न्यायालय ने हालांकि ललित मान को आरोपमुक्त कर दिया।

कथित अपराध यू/एस। 120 बी, आर. डब्ल्यू. धारा 34,201 आई. पी. सी. और यू/एस. 25 शस्त्र अधिनियम, इस आधार पर कि अभियुक्त-ललित मान उर्फ नन्हे के खिलाफ फाइल पर अभियोजन पक्ष जो एकमात्र सबूत रखने में सक्षम था, वह यह है कि वह हत्या के 8 दिन बाद 29.03.2006 पर अभियुक्त नरेंद्र मान के साथ एक एस्टीम कार में यात्रा करते हुए पाया गया था। यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि शुरू में नरेंद्र मान ने ललित से पूछा था

मान एस. एन. गुप्ता की हत्या का काम करेगा।

बाद में वह इससे पीछे हट गए। इसके बाद हत्या को अंजाम देने का काम आरोपी को सौंपा गया।

जोगिंदर सिंह सोढ़ी। इससे संकेत मिलता है कि ललित मान ने कथित साजिश से खुद को अलग कर लिया था। नरेंद्र मान और ललित मान सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खुलासा बयान हैं -

अभियुक्त को जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं-ललित

एस. एन. गुप्ता की हत्या के अपराध के साथ मान।

(iii) राजबीर सिंह के संबंध में अभियोजन पक्ष ने निर्दिष्ट किया

अभियुक्त नरेंद्र मान और राजबीर सिंह द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों के लिए, यह दिखाने के लिए कि यह राजबीर सिंह की सलाह पर था, कि अभियुक्त नरेंद्र मान ने अपराध के लिए अपने लाइसेंस प्राप्त हथियार का उपयोग नहीं किया। नरेंद्र मान को राजबीर सिंह ने अपना लाइसेंस प्राप्त हथियार सचिन के कारखाने में रखने की सलाह दी।

बंसल, और हत्या के लिए एक बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल की व्यवस्था करें। यह भी बताया गया कि गिरफ्तारी के समय नरेंद्र मान राजबीर सिंह के साथ यात्रा कर रहे थे और वे लगातार राजबीर सिंह के संपर्क में थे।

सेल फोन।

सत्र न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों से केवल यह पता चलता है कि राजबीर सिंह ने नरेंद्र मान को सलाह दी कि उन्हें एस. एन. गुप्ता की हत्या को अंजाम देने के लिए अपनी लाइसेंसी पिस्तौल का उपयोग नहीं करना चाहिए। राजबीर सिंह की सलाह के आधार पर आरोपी नरेंद्र मान ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल सचिन बंसल के कारखाने में रखी और आरोपी शैलेंद्र सिंह से बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल की व्यवस्था की। नरेंद्र मान को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह राजबीर सिंह के साथ 29.03.2006 पर सचिन बंसल के घर जा रहा था। राजबीर सिंह की नरेंद्र मान के साथ कार में यात्रा करना मात्र संभव नहीं था।

इसे अपराध माना जाता है। कार से बरामद वस्तुओं के जब्ती ज्ञापन पर राजबीर सिंह के हस्ताक्षर नहीं थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं था कि कार या तो राजबीर सिंह की थी, या कार से बरामद माल की व्यवस्था की गई थी या वह राजबीर सिंह की थी। फाइल पर रखी गई सामग्री आरोपी-राजबीर सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

एन. सी. टी. दिल्ली का टी. ई. बनाम। शिव चरण बंसल और ओआरएस।

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

(iv) शैलेंद्र सिंह के संबंध में, सत्र न्यायालय

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मान द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर उनके कार्यालय से बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल के साथ दो जिंदा कारतुस बरामद किए गए। सत्र न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अनुसार प्रकटीकरण बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिससे यह माना जा सके कि शैलेंद्र सिंह को पता था कि नरेंद्र मान को सौंपी जा रही बंदूक का इस्तेमाल एस. एन. गुप्ता की हत्या में किया जाएगा।

सत्र अदालत ने शैलेंद्र सिंह पर केवल अपराध का आरोप लगाया

यू/एस। 25 उसके पास बिना लाइसेंस वाली बन्दूक रखने के लिए शस्त्र अधिनियम

अधिकार।

(v) अभियुक्त शिव चरण बंसल और सचिन बंसल के संबंध में, अभियोजन पक्ष ने मृतक के भतीजे राजेश गुप्ता के बयानों, मृतक के भाइयों सतीश गुप्ता और सुरेश गुप्ता के बयान पर भरोसा किया, जिन्होंने हत्या की तारीख को ही हत्या के पीछे के मकसद का खुलासा किया था। उनके बयानों के अनुसार, यह पता चला कि मृतक एस. एन. गुप्ता और उनके बेटे राजेश गुप्ता ने मेसर्स आकाश इंटरनेशनल और मेसर्स एक्सेंट शूज प्राइवेट फर्म में साझेदारी की थी। शिव चरण बंसल और उनके बेटे के साथ लिमिटेड। बंसल के पिता-पुत्र की जोड़ी अपने हिस्से का दुरुपयोग करना चाहती थी।

मृतक। रिकॉर्ड में लाया गया अगला मामला यह था कि मृतक ने शिव चरण द्वारा आयोजित समितियों में पर्याप्त राशि का निवेश किया था बंसल, जिसे वह वापस करने से इनकार कर रहे थे।

सत्र न्यायालय ने कहा कि इसका कोई मकसद हो सकता है

एस. एन. गुप्ता की मृत्यु का कारण बने अभियुक्त व्यक्तियों में से, लेकिन यू/एस के तहत आरोप तय करने के लिए अकेले उद्देश्य पर्याप्त नहीं था। 302 आईपीसी.

सत्र न्यायालय ने शिव चरण बंसल को आरोपमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ सबूत केवल फॉर्म में एकत्र किए थे

गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त व्यक्तियों के बयानों का खुलासा करना।

ये प्रकटीकरण कथन उन तथ्यों के संबंध में हैं जो

आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आई। अनुभाग

10 साक्ष्य अधिनियम प्रकटीकरण के उपयोग की अनुमति नहीं देता है

अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध से जोड़ने के लिए बयान।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(vi) सत्र न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-सचिन बंसल के खिलाफ यू/एस अपराध के लिए आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम रहा है। 25 शस्त्र अधिनियम के तहत, जब से सचिन बंसल को आरोपी की लाइसेंसी पिस्तौल मिली-नरेंद्र मान बरामद

अपने कारखाने के परिसर से।

सत्र न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष पता लगाने में विफल रहा

अभियुक्त-राजबीर सिंह, ललित मान के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला और शिव चरण बंसल जिन्हें छुट्टी दे दी गई।

28. राज्य ने सी. आर. एल. दाखिल किया। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2008 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 335, दिनांकित 17.03.2008 पारित निर्णय के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा इस हद तक कि (i) अभियुक्तों-शिव चरण बंसल, ललित मान उर्फ नन्हे और राजबीर सिंह को गलत तरीके से आरोपमुक्त कर दिया गया था; (ii) अभियुक्त-शैलेंद्र सिंह और सचिन बंसल पर एस. आर. डब्ल्यू. की बजाय केवल शस्त्र अधिनियम की एस. 25 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। धारा 120 बी आई. पी. सी.; (3) अभियुक्त-नरेंद्र मान और जोगिंदर सिंह सोढ़ी पर S.302 आर. डब्ल्यू. के तहत आरोप लगाए गए थे। धारा 34 आई. पी. सी., हालाँकि उन पर आई. पी. सी. S.120B के तहत आरोप लगाया जाना चाहिए था।

शिकायतकर्ता-कांता देवी ने सी. आर. एल. दायर की। पुनरीक्षण याचिका सं।

191 2008 में राज्य के समान राहत के लिए प्रार्थना की गई।

29. अभियुक्त-शैलेंद्र सिंह ने सी. आर. एल. दायर किया। पुनरीक्षण याचिका सं।

430 2008 और एक अलग सी. आर. एल. 2008 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 405 अभियुक्त-सचिन बंसल द्वारा सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी जिसमें उन पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप लगाया गया था।

उनके अनुसार, उन्हें सत्र न्यायालय द्वारा आरोपमुक्त कर दिया जाना चाहिए था।

अभियुक्त-नरेंद्र मान ने सी. आर. एल. दायर किया। पुनरीक्षण याचिका संख्या 342

2008 का आदेश सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देता है जिसमें उन पर यू/S.302 आर. डब्ल्यू. के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। शस्त्र अधिनियम की धारा 34,201 आई. पी. सी. और धारा 25 और धारा 29 (बी)। 30. उच्च न्यायालय ने दिनांकित सामान्य निर्णय 29.05.2009 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया किः (i) नरेंद्र मान, सचिन बंसल और जोगिंदर सिंह सोढ़ी पर यू/एस में आरोप लगाया जाना था। 302 धारा 34 आई. पी. सी. के साथ पढ़ा जाता है जिसे 120 बी आई. पी. सी. और एस. 25/27 शस्त्र अधिनियम के साथ पढ़ा जाता है और मूल रूप से यू/एस। 120 बी अकेले आई. पी. सी.

शिव को आरोपमुक्त करने का आदेश देते हुए सत्र न्यायालय का निर्णय

चरण बंसल, शैलेंद्र सिंह, ललित मान और राजबीर सिंह को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि दी गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य बनाम शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

31. राज्य और शिकायतकर्ता-कांता देवी ने पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की

दिल्ली उच्च न्यायालय दिनांक 29.05.2009 द्वारा। अपील करने की अनुमति 26.11.2010 दिनांकित आदेश के माध्यम से दी गई थी।

32. निष्कर्ष और विश्लेषण

S.227 और S.228 Cr.P.C के तहत आरोप तय करने के चरण में, न्यायालय को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पर्याप्त सामग्री थी शिव चरण बंसल, शैलेंद्र सिंह, ललित मान और राजबीर सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपराध यू/एस। 120 बी, S.302 आर. डब्ल्यू. S.120B/34, S.201 आई. पी. सी. और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 तैयार की जानी चाहिए थी।

I. Cr.P.C की धारा 227 और 228 का दायरा।

न्यायालय के पास यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है या नहीं, धारा 227 के तहत आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते हुए साक्ष्य की छान-बीन करने और तौलना करने की शक्ति है। प्रथम दृष्टया मामला निर्धारित करने के लिए परीक्षण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

यदि अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री गंभीर संदेह का खुलासा करती है

अभियुक्त के खिलाफ, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, अदालत आरोप तय करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में पूरी तरह से उचित होगी।

अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के संभावित मूल्य को आरोप तय करने के चरण में नहीं देखा जा सकता है। न्यायालय को यह पता लगाने के लिए अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या उनसे सामने आने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर कथित अपराध का गठन करने वाले तत्वों का खुलासा करते हैं।

इस स्तर पर, मामले के पक्ष और विपक्ष में एक घुमावदार जांच नहीं हो सकती है, साक्ष्य को इस तरह नहीं तौला जाना चाहिए जैसे कि एक परीक्षण है

संचालित किया जा रहा है। बिहार राज्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। रमेश सिंह 'जहाँ यह माना गया है कि फ़्रेमिंग के चरण में

आई. डी. 1 की धारा 227 या 228 के तहत आरोप, यदि कोई मजबूत संदेह है जो अदालत को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया था, तो अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

1 (1977) 4 एससीसी 39.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हाल ही में दीपकभाई जगदीशचंद्र पटेल बनाम में दिए गए निर्णय में। गुजरात राज्य और अन्य 2 करोड़ में। 2019 की अपील सं. 714 ने 24.04.2019 पर निर्णय लिया, इस न्यायालय ने आरोप तय करने और आरोपमुक्त करने से संबंधित कानून निर्धारित किया है, और यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह आवश्यक है कि न्यायालय को उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट होना चाहिए, कि अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए एक मामला बनाया जाए। आरोप तय करने के लिए एक मजबूत संदेह पर्याप्त है, जो कुछ पर आधारित होना चाहिए।

सामग्री। सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिसका परीक्षण के चरण में साक्ष्य में अनुवाद किया जा सके। अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की सत्यता और प्रभाव को इस स्तर पर सावधानीपूर्वक नहीं आंका जाना चाहिए और न ही संभावित साक्ष्य के साथ कोई वजन जोड़ा जाना चाहिए।

आरोप तय करने के चरण में अभियुक्त का बचाव। अदालत को इस बात पर विचार नहीं करना है कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त आधार है, या क्या मुकदमा दोषसिद्धि में समाप्त होना निश्चित है।

II. आपराधिक षड्यंत्र

वर्तमान मामला वह है जिसमें अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि एस. एन. गुप्ता की हत्या के लिए सभी ने आपराधिक साजिश रची थी। अभियुक्त। अपराध उस समय तुरंत नहीं किया गया था, लेकिन उससे पहले सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी जिसमें प्रत्येक आरोपी के पास है

एस. एन. गुप्ता की हत्या को अंजाम देने के सामान्य अवैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक अलग भूमिका निभाई।

न्यायिक आदेश के अनुसार आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व हैंः ((i) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता;

समझौता या तो (ए) एक अवैध कार्य करने या करने के लिए प्रेरित करने से संबंधित होना चाहिए; या (बी) एक ऐसा कार्य जो अपने आप में अवैध नहीं है, लेकिन अवैध माध्यमों से किया जाता है। रिलायंस को गुलाम सरबर बनाम के फैसले पर रखा गया है। इस मुद्दे पर बिहार राज्य 3, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि क्या आवश्यक है

अभियोजन पक्ष को दिखाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के दिमाग की बैठक एक अवैध कार्य करने या करने के लिए, या अवैध द्वारा एक कार्य करने के लिए है

एक आपराधिक साजिश आम तौर पर गोपनीयता में रची जाती है, और प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना असंभव नहीं तो मुश्किल है। रिलायंस को आर. वेंकटकृष्णन बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया है। सीबीआई। द. जिस तरह और परिस्थितियों में अपराध किया गया है,

2 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 588। 3 (2014) 3 एससीसी 401। 4 (2009) 11 एससीसी 737।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य बनाम शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

और अभियुक्त व्यक्तियों की संलिप्तता का स्तर प्रासंगिक कारक हैं। प्रत्येक षड्यंत्रकारी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत और एकजुट प्रयास में अपनी अलग भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से अवगत है कि सामान्य षड्यंत्र में, सामान्य उद्देश्य को पूरा करने में उसकी भूमिका है। षड्यंत्र ज्यादातर परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाता है

अभियुक्त का अपराध, अलग-थलग करके एक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका। पक्षों के कार्य या आचरण सचेत और स्पष्ट होने चाहिए ताकि उनकी सहमति का अनुमान लगाया जा सके -

सामान्य डिजाइन और उसका निष्पादन। रिलायंस को दिल्ली बनाम राज्य के निर्णय (एन. सी. टी.) पर रखा गया है। नवजोत संधू @अफसान गुरु।

केहर सिंह और ओआरएस में। वी. राज्य (दिल्ली प्रशासन) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपराध में सबसे महत्वपूर्ण घटक

षड्यंत्र दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अवैध कार्य करने के लिए एक समझौता है। अभियोजन पक्ष को परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करना होगा। न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही गैरकानूनी उद्देश्य का पीछा कर रहे हैं या क्या वे गैरकानूनी उद्देश्य की खोज के लिए एक साथ आए हैं। षड्यंत्र के अपराध के लिए समझौते की किसी प्रकार की भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसके वास्तविक शब्दों को साबित करने की आवश्यकता है। संचार। यह तब पर्याप्त है जब सामान्य अवैध उद्देश्य के निष्पादन के लिए साजिशकर्ताओं के बीच एक मौन समझ हो।

आपराधिक साजिश के मामलों में, सह-साजिशकर्ताओं के कृत्यों और बयानों से बेहतर सबूत शायद ही कभी उपलब्ध हो। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पाते हैं कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री लाई गई है जो इस बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है

अभियुक्त की संलिप्तता। मृतक एस. एन. गुप्ता की हत्या में शिव चरण बंसल, ललित मान और शैलेंद्र सिंह।

III. शिव चरण बंसल

शिव चरण बंसल की संलिप्तता के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व्यापक रूप से निम्नानुसार गिने जाते हैं:

(i) राजेश गुप्ता पुत्र मृतक ने हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया

उनके पिता से शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन

5 (2005) 11 एससीसी 600।

6 (1988) 3 एससीसी 609।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

बंसल, अपने दिवंगत पिता एस. एन. गुप्ता द्वारा सभी समितियों/चिट फंडों में निवेश की गई राशि के गबन के लिए

बंसल द्वारा चलाया जाता है।

गुप्ता ने आगे व्यावसायिक लेन-देन के बारे में बयान दिया

शिव चरण बंसल और उनके बेटे, मृतक एस. एन. के साथ दो फर्म मेसर्स। एक्सेंट शूज प्रा. लिमिटेड और मेसर्स। आकाश राष्ट्रीय, जहाँ शिव चरण बंसल ने हिस्सा हड़प लिया था

गायब हो गया, और अब अपने कारखाने पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था

दुर्गढ़।

मृतक के भाई के बयान से इसकी पुष्टि हुई। सतीश गुप्ता जो हत्या के तुरंत बाद दर्ज किया गया था। उक्त गवाहों ने मृतक की हत्या के तुरंत बाद बयान दिए हैं।

मृतक के तीसरे भाई का बयान। अजीत प्रसाद गुप्ता का बयान यू/एस दर्ज किया गया था। 164 Cr.P.C. महानगर न्यायालय द्वारा 01.06.2006 पर

मजिस्ट्रेट। अजीत गुप्ता ने खुलासा किया कि वह शिव को जानते थे

चरण बंसल 10 से 15 साल तक रहे। उन्होंने कहा कि वह

चरण बंसल। समितियों का आयोजन शिव ने किया था। चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल। वहाँ थे।

70 शिव द्वारा आयोजित एक महीने में 80 समितियों को

चरण बंसल। मृतक एस. एन. गुप्ता ने निवेश किया था।

इनमें से अधिकांश में पर्याप्त राशि

समितियाँ, और हर समूह के सदस्य थे। कब

एस. एन. गुप्ता ने पैसे वापस करने की मांग की, शिव चरण बंसल ने एक या दूसरे बहाने से पैसे वापस करने से इनकार कर दिया।

एक और, जिसे उन्होंने तब सीखा जब वे इसमें भाग लेने गए थे

समितियाँ।

स्वतंत्र गवाह का बयान। अशोक कुमार अग्रवाल को यू/एस दर्ज किया गया था। 164 Cr.P.C. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 31.05.2006 पर। इस गवाह ने कहा कि उसने 10 लाख की चार समितियों में भाग लिया था

शिव चरण बंसल द्वारा संचालित। वह जानता था कि

मृतक एस. एन. गुप्ता ने अधिकतम निवेश किया था।

शिव चरण बंसल द्वारा संचालित समितियों की संख्या, जिसमें उनके सबसे बड़े बेटे सचिन बंसल उनकी मदद करते थे।

एन. सी. टी. दिल्ली का टी. ई. बनाम। शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

(v) सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने नोट किया है कि सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से हत्या के लिए शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल को जिम्मेदार ठहराया है। अपराध का उद्देश्य गलत उपयोग करना था

शिव चरण बंसल की समितियों में मृतक द्वारा किया गया निवेश। राजेश गुप्ता ने आगे बयान दिया है कि आगे की परिस्थिति परिवारों के बीच व्यापारिक लेन-देन के कारण थी। मृतक और शिव चरण बंसल।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, एस. एन. गुप्ता की हत्या की साजिश शिव चरण बंसल और उनके बेटे सचिन बंसल ने नरेंद्र मान के साथ रची थी, और अन्य सह-साजिशकर्ता ललित मान थे जिन्होंने अनुबंध हत्यारे की व्यवस्था की-जोगिंदर सिंह सोढ़ी, शैलेंद्र सिंह जिन्होंने अपराध का हथियार प्रदान किया जो उनके कार्यालय से बरामद किया गया था।

(vi) सचिन बंसल और नरेंद्र मान के बीच समकालीन कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सी. डी. आर.), जो अनुबंध हत्यारे जोगिंदर सिंह सोढ़ी के साथ थे, आरोप तय करने के लिए मजबूत सामग्री का गठन करेंगे।

सभी अभियुक्तों के खिलाफ।

एस. एन. गुप्ता की हत्या लगभग 4 बजे हुई थी। 30 अपराह्न। नरेंद्र मान ने अपने सेल फोन नंबर 9818411470 से 3 पर कॉल कियाः 51 पी. एम. अपराध के निष्पादन से पहले अपने सेल फोन नंबर 9818119624 पर सचिन बंसल को। हत्या के बाद, नरेंद्र मान ने 4 बजे अपने सेल फोन पर सचिन बंसल को फोन कियाः 48 अपराह्न। ये कॉल रिकॉर्ड एक के बाद एक आते जाते हैं।

हत्या के तुरंत पहले और बाद में, इन अभियुक्तों की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है। द. कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि आरोपी घटना से पहले और बाद में एक-दूसरे के साथ निकट संपर्क और संवाद में थे।

घटना।

आई. ओ. सत्यपाल सिंह ने अपने दिनांक आई. डी. 1 वाले बयान में कहा था कि आई. डी. 2 पर उन्होंने ए. सी. पी. कार्यालय से सभी अभियुक्त व्यक्तियों के मोबाइल फोन के कॉल विवरण रिकॉर्ड प्राप्त किए थे। हमने सत्र न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया है और पाया है कि शिव चरण बंसल के कॉल विवरण अभिलेख, जो कि [2019] 17 एस. सी. आर. थे।

आई. ओ. द्वारा आरोप पत्र के साथ महत्वपूर्ण साक्ष्य जानबूझकर नहीं रखे गए थे। केवल शिव चरण बंसल का लापता कॉल विवरण रिकॉर्ड उनके खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा करता है।

उसे।

(vii) शिव चरण बंसल द्वारा संचालित समितियों के अभिलेखों को कथित रूप से नष्ट कर दिया गया था। इससे शिव के आचरण के बारे में गहरा संदेह पैदा होता है।

चरण बंसल जो उस समय 75 से 80 समितियाँ/चिट फंड चला रहे थे। शिव चरण बंसल ने अपने आई. डी. 1 दिनांकित प्रकटीकरण बयान में कहा कि उनके पास समितियों के सभी रिकॉर्ड हैं। हालाँकि, दो दिन बाद, 28.04.2006 पर, उन्होंने अपना संस्करण बदल दिया और कहा कि समिति के रिकॉर्ड उनके द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं।

बेटा सचिन बंसल।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि पिता-पुत्र की जोड़ी ने समितियों के अभिलेखों को जला दिया/नष्ट कर दिया। समितियों के अभिलेखों को नष्ट करना, जिससे स्वर्गीय एस. एन. गुप्ता द्वारा किए गए पर्याप्त निवेश का पता चलता।

दोषपूर्ण कारक।

(viii) हत्या के बाद शिव चरण बंसल का आचरण भी प्रासंगिक है। पुलिस ने सचिन बंसल को उसकी फैक्ट्री से 29.03.2006 पर गिरफ्तार किया।

21.03.2006 पर प्रतिबद्ध, और पुलिस के प्रयासों के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए। उसे एक से अधिक के बाद गिरफ्तार किया गया था। 25.04.2006 पर महीना।

अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया एक मजबूत मामला बनाया है और रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री शिव चरण बंसल के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त है। अभियुक्तों को आरोपमुक्त करने में सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय उचित नहीं थे-शिव चरण बंसल अपराधों के लिए यू/S.302 आर. डब्ल्यू. एस. 34, S.120B, S.201 आई. पी. सी. साक्ष्य नष्ट करने के लिए।

एन. सी. टी. दिल्ली का टी. ई. बनाम। शिव चरण बंसल और ओआरएस।

[इंदू मल्होत्रा, जे।]

अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई सामग्री एक मजबूत संदेह पैदा करती है

हम आश्चर्यचकित हैं कि सचिन बंसल के मामले में सह अभियुक्त, सत्र न्यायालय ने केवल यू/एस के तहत आरोप तय किए। 25 में से

शस्त्र अधिनियम, भले ही उसके लिए पर्याप्त सामग्री थी

अभियोजन यू/एस। 120 बी. आर. डब्ल्यू S.302/34 और S.201 आई. पी. सी.

उच्च न्यायालय ने दिनांक 29.05.2009 के आदेश और निर्णय के माध्यम से अभियोजन पक्ष को यू/एस के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया। 120 बी. आर. डब्ल्यू S.302

और धारा 34 आई. पी. सी., S.120B आर. डब्ल्यू. शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 और यू / एस. 120 बी, सचिन बंसल के खिलाफ, और संचालन करने के लिए

तदनुसार मुकदमा चलाएँ। वर्तमान अपीलों के लंबित रहने के दौरान, सत्र न्यायालय

आरोपों के तहत सचिन बंसल के मुकदमे के साथ आगे बढ़े

उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित। सत्र न्यायालय ने फैसले के माध्यम से और 04.02.2016 दिनांकित आदेश ने उन्हें मुख्य रूप से बरी कर दिया

इस आधार पर कि उनके खिलाफ आरोप परिस्थितिजन्य थे

प्रकृति, और उस पर मुकदमा चलाने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। राज्य और निजी शिकायतकर्ता ने सी. आर. एल. दायर किया है। अपील सं।

1155 2017 और सीआरएल। 2017 की अपील सं. 1154 को चुनौती देने के लिए

सचिन बंसल को बरी किया जाना, जो अंतिम निर्णय के लिए लंबित है

उच्च न्यायालय द्वारा।

IV. ललित मान

(i) अभियोजन पक्ष ने सुरेश गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता उर्फ चीनू और मृतक के भतीजे के बयान पर भरोसा किया। उक्त गवाह ने अपने बयान में यू/एस। 161 Cr.P.C, जो हत्या के तुरंत बाद दर्ज किया गया था

उसी तारीख को हुआ था, जिसमें कहा गया था कि नरेंद्र मान, ललित मान, सचिन बंसल और उनके दोस्त

उसे फोन पर धमकी देते हैं। नवीन गुप्ता ने आगे कहा कि ये लोग भी उनके घर आए और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता सुरेश गुप्ता ने मृतक एस.

एन. गुप्ता की सलाह पर ललित मान और अन्य के खिलाफ मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। यह आगे कहा गया कि उन्हें यकीन था कि उनके चाचा एस. एन. गुप्ता की हत्या नरेंद्र मान, ललित मान, सचिन बंसल और उनके दोस्तों ने की थी।

(ii) नरेंद्र मान द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान से पता चलता है कि शुरू में उन्होंने ललित मान को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था।

एस. एन. गुप्ता की हत्या।

आरोपी-ललित मान को मृतक एस. एन. गुप्ता की हत्या की आपराधिक साजिश की पूरी जानकारी थी।

((iii) हत्या के तुरंत बाद, नरेंद्र मान और

ललित मान फरार थे।

चूँकि ललित मान अपराध के बाद जांच में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए फरार आरोपी का आचरण यू/एस के तहत प्रासंगिक 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगा। 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

((iv) हत्या होने के आठ दिन बाद यानी आई. डी. 1 पर तीन अभियुक्त अर्थात्। नरेंद्र मान, ललित मान और राजबीर सिंह को पुलिस ने एस्टीम कार में यात्रा करते हुए गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आपत्तिजनक वस्तुएँ यानी मृतक की तस्वीर बरामद की जो

कॉन्ट्रैक्ट किलर को पहचान, चश्मे और अपनी पहचान छिपाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर जोगिंदर सिंह द्वारा पहनी गई काली टोपी कार से दी गई थी।

(v) ललित मान के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स से पता चलता है कि उसके सेल फोन नंबर 9810254600 से, वह अपनी सेल नंबर 9871791501 पर अनुबंध हत्यारे जोगिंदर सिंह सोढ़ी के साथ पहले और बाद में संपर्क में था।

अपराध के आयोग के लिए।

निम्नलिखित न्यायालयों को यू/एस, 303 आर. डब्ल्यू. के तहत आरोप तैयार नहीं करने में अन्यायपूर्ण ठहराया गया था। आरोपी ललित मान के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 34, धारा 120 बी।

वी. शैलेंद्र सिंह

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शैलेंद्र सिंह ने अपराध का हथियार प्रदान किया। इसके अलावा, अपराध के बाद

दोषी पाए जाने पर शैलेंद्र सिंह 75 दिनों तक फरार रहे।

(i) अपराध के हथियार की बरामदगी अर्थात

ए 1/25 पर इस आरोपी के कार्यालय से दो जिंदा गोलियों के साथ बिना लाइसेंस वाली 7.65 मिमी बोर की पिस्तौल,

सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली स्वर्गीय एस. एन. गुप्ता की हत्या की साजिश में उसकी संलिप्तता का एक मजबूत संदेह पैदा करता है।

एन. सी. टी. दिल्ली का टी. ई. बनाम। शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

जिस कार्यालय से बरामदगी की गई थी, वह शैलेंद्र सिंह की पत्नी का है। इसकी पुष्टि की जाती है कि निक्षेपण यू/एस। 161 Cr.P.C. रमेश, एक स्वतंत्र गवाह, एक प्रॉपर्टी डीलर, जिसने फ्लैट नं. A 1/35, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली शैलेंद्र सिंह द्वारा, जो उनकी पत्नी पूजा सिंह के नाम पर पंजीकृत था। शैलेंद्र सिंह ने अपने वित्तपोषण व्यवसाय को पूरा करने के लिए उक्त फ्लैट को अपने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया।

(ii) एफ. एस. एल. रिपोर्ट दिनांक 18.10.2006 ने प्रमाणित किया है कि एस. एन. गुप्ता की हत्या में इस्तेमाल हथियार और कारतुस शैलेंद्र सिंह के कार्यालय से बरामद किए गए थे।

(iii) बैलिस्टिक रिपोर्ट ने प्रमाणित किया है कि घटना स्थल से बरामद किए गए तीन इस्तेमाल किए गए कारतुस और मृतक के शरीर से बरामद सीसा, शैलेंद्र सिंह के घर से बरामद जीवित कारतुस से मेल खाते हैं और शैलेंद्र के घर से बरामद बिना लाइसेंस वाली पिस्तौल से दागे गए थे।

सिंह।

((iv) अपराध के बाद, आरोपी शैलेंद्र सिंह के पास अपराध का हथियार था, जो उसके कार्यालय में छिपा हुआ था।

शैलेंद्र सिंह की अभिरक्षा और कब्जे में अपराध का हथियार मिलने की परिस्थिति स्वीकार्य होगी।

सह अभियुक्त द्वारा दिए गए बयानों की परवाह किए बिना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत "आचरण" के रूप में।

घर से अपराध के हथियार की महत्वपूर्ण बरामदगी शैलेंद्र सिंह की, घटनाओं की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति थी, जो उनके खिलाफ यू/एस मुकदमे में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। 302 आर. डब्ल्यू धारा 34 और 120 बी आई. पी. सी.

(v) सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कॉल विवरण रिकॉर्ड, हत्या की तारीख पर नरेंद्र मान और शैलेंद्र सिंह के बीच संचार का खुलासा करता है, जो हत्या की तारीख की धारा 8 के अनुसार प्रासंगिक सामग्री है।

साक्ष्य अधिनियम।

यह आश्चर्य की बात है कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कार्यालय से बिना लाइसेंस वाले हथियार की बरामदगी को स्वीकार कर लिया है शैलेंद्र सिंह ने उन पर केवल यू/एस अपराध का आरोप लगाया। 25 शस्त्र अधिनियम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

VI. राजबीर सिंह

अभियुक्त-राजबीर सिंह को आरोपमुक्त करने के संबंध में, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश को बाधित नहीं किया जाता है, क्योंकि हम पाते हैं कि उस पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है।

नरेंद्र मान पर सत्र न्यायालय यू/एस द्वारा आरोप लगाया गया था। 302 आर. डब्ल्यू सत्र न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 34, धारा 201 और धारा 25 और 29 (ख)। सत्र न्यायालय ने 04.02.2016 के निर्णय और आदेश के माध्यम से नरेंद्र मान को बरी कर दिया।

वर्तमान मामले में, सत्र न्यायालय द्वारा छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने में विसंगति के कारण, मुकदमे को काट दिया गया है। तीन अभियुक्तों यानी सचिन बंसल, नरेंद्र मान और कथित अनुबंध हत्यारे-जोगिंदर सिंह सोढ़ी के संबंध में मुकदमा अन्य तीन अभियुक्तों की अनुपस्थिति में आगे बढ़ा है। शिव चरण बंसल, ललित मान और शैलेंद्र सिंह। वर्तमान मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित आपराधिक साजिश का है। आपराधिक षड्यंत्र के मामले को स्थापित करने के लिए, परिस्थितियों की श्रृंखला में प्रत्येक कड़ी तभी पूरी होगी जब अभियोजन पक्ष द्वारा सभी अभियुक्तों के खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य को समग्र रूप से ध्यान में रखा जाए।

चूंकि वर्तमान मामले में मुकदमा काट दिया गया है, इसलिए यह है

यह आवश्यक है कि शेष तीन अभियुक्तों का मुकदमा कानून के अनुसार तुरंत आगे बढ़े।

अन्य तीन अभियुक्तों सचिन बंसल, नरेंद्र मान और जोगिंदर सिंह के संबंध में मुकदमा अन्य तीन कथित सह-साजिशकर्ताओं की अनुपस्थिति में चलाया गया था। सचिन बंसल और नरेंद्र मान को बरी करने का आदेश

उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

एन. सी. टी. दिल्ली का टी. ई. बनाम। शिव चरण बंसल और ओआरएस। [इंदू मल्होत्रा, जे।]

S.386 Cr.P.C. अपीलों से निपटने में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को परिभाषित करता है। S.386 Cr.P.C का खंड (ए) उच्च न्यायालय की शक्तियों तक सीमित है क्योंकि इसके आदेश के खिलाफ अपील की जाती है।

बरी करना उच्च न्यायालय के लिए झूठ है। अपीलीय अदालत अभियुक्त पर फिर से मुकदमा चलाने का निर्देश दे सकती है, न कि केवल जब वह किसी अपील पर विचार करती है।

बरी किए जाने के विरुद्ध, लेकिन यह तब भी जब यह दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील से संबंधित हो। खंड (ए) के तहत उच्च न्यायालय उलट सकता है

बरी करने का आदेश और निर्देश दें कि आगे की जांच की जाए, या आरोपी पर फिर से मुकदमा चलाया जा सकता है, या उसे दोषी पाया जा सकता है और उस पर सजा दी जा सकती है। इसाक उर्फ किशोर बनाम में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है। रोनाल्ड चेरियन और ओआरएस 7.

IX. एक अपीलीय न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय यू/S.391 Cr.P.C के तहत अपीलों पर विचार करते समय आगे का साक्ष्य ले सकता है, यदि इसे आवश्यक माना जाता है, और रिकॉर्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है। उच्च न्यायालय यू/S.313 Cr.P.C के तहत बयानों को दर्ज करने की अनुमति भी दे सकता है, यदि आवश्यक माना जाए, जैसा कि इस न्यायालय ने एलिस्टर में कहा है।

वी. असम राज्य। ओ 9 X. उच्च न्यायालय सत्रों द्वारा शेष अभियुक्त शिव चरण बंसल, ललित मान और शैलेंद्र सिंह के मुकदमे के समापन के बाद सचिन बंसल, नरेंद्र मान और जोगिंदर सिंह सोढ़ी के मामले में लंबित अपीलों पर सुनवाई कर सकता है।

वर्तमान मामले में न्यायालय।

XI. निष्कर्ष और निर्देशः -

1. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील सी. आर. एल. है। 2010 की अपील सं. 2248 और निजी शिकायतकर्ता कांता देवी सी. आर. हैं। 2010 की अपील सं. 2247 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है। हम रोहिणी अदालतों के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को आगे बढ़ने का निर्देश देते हैं

सत्र मामला संख्या 6 में कानून के अनुसार मुकदमे के साथ /

2007 एफ. आई. आर. सं. 200/2006 दिनांक 21.03.2006 के साथ निम्नलिखित अभियुक्त के प्रति सम्मानः -

ए। रोहिणी अदालत, दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को शिव चरण बंसल के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है

2) 2 एस. सी. सी. 648

यू/एस। 302 आर. डब्ल्यू धारा 34 आई. पी. सी. और धारा 120 बी. और आई. पी. सी. और

कानून के अनुसार मुकदमे को आगे बढ़ाएँ।

बी। हम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहिणी अदालत, दिल्ली को ललित मान यू/एस के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश देते हैं। 302 आर. डब्ल्यू धारा 34 आई. पी. सी. और आई. पी. सी. में मुकदमे के साथ आगे बढ़ें

कानून के अनुसार।

सी। हम रोहिणी न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को निर्देश देते हैं,

दिल्ली शैलेंद्र सिंह यू/S.302 आर. डब्ल्यू. के खिलाफ आरोप तय करेगी। 34 आई. पी. सी. और धारा 120 बी आई. पी. सी. और धारा 25,27,54 और 59

शस्त्र अधिनियम।

सत्र मामला सं. 6/2007 में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए न्यायाधीश, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली एफ. आई. आर. सं. 200/2006।

3. हम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहिणी न्यायालय, दिल्ली को एक समय सारिणी निर्धारित करने और दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ाने और अधिमानतः आज से छह महीने की अवधि के भीतर इसे समाप्त करने का निर्देश देते हैं। 4. रोहिणी अदालत, दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि वे तीन के बाद इस अदालत को मामले की प्रगति की रिपोर्ट दें।

महीनों तक।

5. इस निर्णय की एक प्रति उच्च न्यायालय को भी भेजी जाए और लंबित सी. आर. एल. की फाइल में रखी जाए। अपील सं। 1155 2017 का और 2017 का 1154।

6. हम श्री राजबीर सिंह मलिक उर्फ राजू-अभियुक्त संख्या 3 को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हैं।

अपीलों की आंशिक रूप से अनुमति है।

गुजराल